ग्राम पंचायत संचूई, विकास खण्ड व तहसील भरमौर, जिला चम्बा , हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत,ग्राम पंचायत, संचूई विकास खण्ड **भरमौर** जिला चम्बा के अवधि 4/15 से 3/18 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री कमलेश कुमार	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति अंजना देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री गौरव कुमार	07/11 से 15-02-17
2.	श्री सुनील कुमार	16-02-17 से 24-10-17
3.	श्री ओमप्रकाश	25-10-17 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {`लाखों में }
1.	6.	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष l	0.80
2.	7	प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक खर्च करना l	3.64
3.	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन l	21.52
4.	8	निर्माण कार्य पर अधिक व्यय	0.08
5.	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीद करनाl	3.92
6.	10	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना l	4.82

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत संचूई विकास खण्ड भरमौर तहसील भरमौर जिला चम्बा के अवधि 01/4/2015 से 31/03/2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है,श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25-06-2018 से 29-06-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय "संचूई " में किया गया l आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09 /15 ,03/17 व 10/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 01/16,02/17 व 07/17 को चयनित किया गया l

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है l उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा l

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत संचूई विकास खण्ड **भरमौर** जिला चम्बा के अवधि 4/15 से 3/18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹7200** बनता है l उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा

परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:**172 दिनांक 29-06-17** द्वारा सचिव,पंचायत **संचूई** से अनुरोध किया गया l

4 **वितीय स्थिति**:- ग्राम पंचायत संचूई द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/15 से 3/18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क}स्व स्त्रोत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	65191	229884	295075	9870	285205
2016-17	285205	23287	308492	42266	266226
2017-18	266226	15825	282051	35876	246175

{ख}अनुदान :-ग्राम पंचायत संचूई के अवधि 4/15 से 3/18 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1057231	3053313	4110544	4063864	46680
2016-17	46680	2764132	2810812	1233648	1577164
2016-18	1577164	2632090	4209254	2057132	2152122

दिनांक 31-3-18 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता सं 0	राशि
1.	HPSCB Garola	17810103205	298390
2.	-----do-------	17810106331	455
3.	HDFC LTD Bharmour	50100065815736	2099452
		TOTAL	**2398297**

बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31-3-18 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹2398297

दिनांक 31-3-18 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):-₹2398297

5 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत सन्चुई की रोकड़ वहीयों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था l अंकेक्षण द्वारा स्वयं रोकड बही व बैंक खातों से मिलान किया गया l अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है l अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाएl

6 पंचायत राजस्व ₹0.80 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-18 तक पंचायत राजस्व ₹80140 वसूली हेतु शेष था l

(क)गृहकर :-

वर्ष	आ0 शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0	14480	14480	260	14220
2016-17	14220	14800	29020	0	29020
2017-18	29020	15120	44140	0	44140

(ख)मोबाइल टावर :-

वर्ष	आ0 शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	24000	6000	30000	2000	28000
2016-17	28000	6000	34000	2000	32000
2017-18	32000	6500	38500	2500	36000
				क+ख =80140	

उक्त बकाया वसूली को तुरन्त वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए l

7 प्राप्त अनुदानों से ₹3.64 लाख का अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-18 को अनुदान NBA (₹198327) व VKVNY (₹165461) , शीर्ष के अन्तर्गत इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹3.64 लाख अधिक खर्च किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 170 दिनांक 29 -06-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत संचूई को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए l व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए l

7.1 अनुदान ₹21.52 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान **₹21.52 लाख** उपयोग हेतु शेष थी l ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 170 दिनांक 29-06-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत संचूई को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए l

8 निर्माण कार्यों पर ₹8410 की निर्माण सामग्री का अधिक व्यय दर्शाने बारे

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों की मापपुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण निर्माण कार्यों हेतु खरीदी निर्माण सामग्री का इस निर्माण कार्यों में कम उपयोग किया गया जबकि बकाया निर्माण सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी नहीं दर्शाया गया था जो कि एक गंभीर मामला है l

C/O pakka path sanchui to gharadu :-

माप पुस्तिका सं0 व पृष्ठ सं0	खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार उपयोग मात्रा	निर्माण सामग्री जिसका ब्यौरा नहीं दिया गया	क्रय की गई दर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
5584 पृष्ठ 43 से 45	47.03m3 बजरी	43.60m3	3.43m3	2452 percum	8410

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यों में मापपुस्तिका के तुलनात्मक अधिक निर्माण सामग्री खरीदी गई व बकाया निर्माण सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी नहीं दर्शाया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता है l अत: अधिक क्रय की गई निर्माण सामग्री अगर किसी अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग की गई है तो अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए अन्यथा दोषी से उक्त अधिक भुगतान की गई राशि को वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.92 लाख के स्टॉक /स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है l व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹3.92** लाख के स्टॉक /स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया l जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 171 दिनांक 29-06-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत संचूई को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

10 निर्माण सामग्री ₹4.82 लाख का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है l परन्तु पंचायत के अवधि 04/15 से 3/18 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** पर दिए गए विवरणानुसार **₹4.82 लाख** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 171 दिनांक 29-06-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत संचूई को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l बिना स्टॉक प्रविष्टि के ऑडिट द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी l अत: इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए क्रय सामग्री की नियमानुसार स्टॉक प्रविष्टियाँ की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए l

11 पंचायत निधि को निजी बैंक में जमा करने बारे

जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा 14 वे वित्त आयोग निधि का बैंक खाता एच.डी.एफ.सी.लिमिटेड भरमौर में खोला गया है जो कि वित्त विभाग के पत्र सं :-Fin-IF-(A)-68/91-V दिनांक 17-04-14 में दिए दिशा-निर्देशों की सरासर अवहेलना है l उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि कोपरेटिव बैंक में निवेशित की जानी अपेक्षित थी l अत: पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार कोपरेटिव बैंक की नजदीकी शाखा में पंचायत की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करे l

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं

किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

13 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l

14 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है l

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है l

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (xv)(vii) 36/2018 खण्ड–1–7932–7935 दिनांक 27.11.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सन्चुई, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881